

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अगस्त 2016—श्रावण 25, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (39).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (11) दिनांक 22 जनवरी 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में, अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, शब्द और अंक “रुपए 3/- प्रति लीटर” के स्थान पर, शब्द और अंक “रुपए 4/- प्रति लीटर” स्थापित किये जाएं.

2. यह संशोधन दिनांक 18 अगस्त 2016 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (39), दिनांक 16 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 16th August 2016

No.A 3-60-2015-19-FIVE-(39).—In exercise of the powers conferred by Section 9-A A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-A-3-60-2015-1-V-(11) dated 22nd January 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, in column (3),-against serial number 1, for the words and figure "Rupees 3/- per liter", the words and figure "Rupees 4/- per liter" shall be substituted.

2. This amendments shall come into force from 18th August 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy Secy.